राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक– प.3(313)नविवि / 3 / 2011 जयपुर, दिनांक 18 AUG 2020

आदेश

दिनांक 17.06.1999 से पूर्व तथा 17.06.1999 के पश्चात कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के भूखण्डों के नियमन हेतु अपंजीकृत दस्तावेजों के निष्पादन की कट ऑफ डेट बढाने के आदेश दिनांक 11.02.2020 जारी किए गए थे, परन्तु इस आदेश का अभी तक व्यापक प्रचार–प्रसार नहीं होने एवं आम नागरिकों को इसकी जानकारी के अभाव में उचित संख्या में पट्टे जारी नहीं किए जा सके हैं।

एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार करना आवश्यक नहीं है एवं जिन कॉलोनियों के ले–आउट प्लान स्वीकृत हैं, उनको जोनल डवलपमेंट प्लान में समायोजित ही किया जाना है, इसलिए स्वीकृत ले–आउट प्लान वाली योजनाओं में पट्टे देने की कार्यवाही बिना जोनल प्लान अनुमोदन के की जा सकती है।

इस संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 11.02.2020 की व्यापक प्रचार–प्रसार करने के साथ ही ऑफलाईन / ऑन लाईन जैसी भी व्यवस्था हो, के माध्यम से अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर पट्टे देने की कार्यवाही संबंधित निकायों द्वारा की जायेगी।

इस संबंध में किये जाने वाले कार्य की सम्पूर्ण जानकारी एवं प्रगति रिपोर्ट संलग्न संशोधित प्रारूप ''क'' में संबंधित निकाय द्वारा प्रेषित की जावे।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम / द्वितीय / तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी / उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रारूप "क"

कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व व पश्चात् की बसी हुई/सृजित कॉलोनियां, गृह निर्माण समिति की कॉलोनियां, निजी कृषि भूमि की योजनाऐं व कृषि भूमि पर बनाई गई अफॉर्डेबल/मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजना का विवरणः–

(सारणी –1) (समस्त निकायों के लिए)

कुल स्वीकृत योजनाऐं (जिनका ले आउट प्लान स्वीकृत है)	स्वीकृत ले आउट के अनुसार कुल भूखण्डों की संख्या	योजनाओं में जारी किये गये कुल पट्टों की संख्या	स्वीकृत ले आउट प्लान शेष रहे पट्टों की कुल संख्या	अन्य विवरण

नोटः– योजना वाइज विवरण अलग से संलग्न करें।

एक लाख से अधिक आबादी वाले निकायों में कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व व पश्चात् की बसी हुई/सृजित कॉलोनियां, गृह निर्माण समिति की कॉलोनियां, जिनका स्वप्रेरणा से ले–आउट प्लन तैयार किया गया है अथवा भूखण्डधारी/गृह निर्माण समिति द्वारा ले–आउट प्लान (परन्तु प्राधिकरण/न्यास द्वारा स्वीकृत नहीं) प्रस्तुत किया गया है, का विवरणः–

(सारणी– 2–ए) (एक लाख से अधिक आबादी वाले निकाय)

तैयार/प्रस्तुत किये गये ले–आउट प्लान की कुल संख्या	प्रस्तुत/तैयार किये गये ले आउट प्लान के अनुसार भूखण्डों की कुल संख्या	मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञेय योग्य ले–आउट प्लानों की कुल संख्या	मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञेय योग्य नहीं है, उन ले–आउट प्लानों की कुल संख्या	कितनी ले आउट प्लान वाली योजनाओं का जोनल डवलपमेंट प्लान स्वीकृत है	कितनी योजनाओं का जोनल डवलपमेंट प्लान स्वीकृत नहीं है

नोटः– योजना वाइज विवरण अलग से संलग्न करें।

एक लाख से अधिक आबादी वाले निकायों में कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व व पश्चात् की बसी हुई/सृजित कॉलोनियां, गृह निर्माण समिति की कॉलोनियां, जिनका स्वप्रेरणा से ले–आउट प्लन तैयार नहीं किया गया है अथवा भूखण्डधारी/गृह निर्माण समिति द्वारा ले–आउट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है (ले–आउट प्रस्तुती से शेष योजनाएं) का विवरणः–

(सारणी– 2–बी) (एक लाख से अधिक आबादी वाले निकाय

योजनाओं की संख्या	अनुमानित भूखण्डों की संख्या	जिन योजनाओं के जोनल डवलपमेंट प्लान स्वीकृत है उनकी संख्या एवं अनुमोनित भूखण्डों की संख्या	जिन योजनाओं के जोनल डवलपमेंट प्लान स्वीकृत नहीं है उनकी संख्या एवं अनुमोनित भूखण्डों की संख्या

नोटः– योजना वाइज विवरण अलग से संलग्न करें।

एक लाख आबादी तक के निकायों में कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व व पश्चात् की बसी हुई/सृजित कॉलोनियां, गृह निर्माण समिति की कॉलोनियां, जिनका स्वप्रेरणा से ले–आउट प्लान तैयार किया गया है अथवा भूखण्डधारी/गृह निर्माण समिति द्वारा ले–आउट प्लान (परन्तु प्राधिकरण/न्यास अनुमोदित नहीं) प्रस्तुत किया गया है, का विवरणः–

(सारणी– 3–ए) (एक लाख तक आबादी वाले निकाय)

तैयार/प्रस्तुत किये गये ले–आउट प्लान की कुल संख्या	प्रस्तुत/तैयार किये गये ले आउट प्लान के अनुसार भूखण्डों की कुल संख्या	मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञेय योग्य ले–आउट प्लानों की कुल संख्या	मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञेय योग्य नहीं है, उन ले–आउट प्लानों की कुल संख्या

नोटः– योजना वाइज विवरण अलग से संलग्न करें।

एक लाख आबादी तक के निकायों में कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व व पश्चात् की बसी हुई/सृजित कॉलोनियां, गृह निर्माण समिति की कॉलोनियां, जिनका स्वप्रेरणा से ले–आउट प्लन तैयार नहीं किया गया है अथवा भूखण्डधारी/गृह निर्माण समिति द्वारा ले–आउट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है (ले आउट प्रस्तुती से शेष योजनाएं) का विवरणः–

(सारणी– 3–बी) (एक लाख तक आबादी वाले निकाय)

योजनाओं की संख्या	अनुमानित भूखण्डों की संख्या	विशेष विवरण मास्टर प्लान के संबंध में

नोटः– योजना वाइज विवरण अलग से संलग्न करें।